

20.11.2016

वकील वादीगवा उपस्थित। प्रतिवादी भाँसा 2,3
व 5,6 के वकील उपस्थित। शैल प्रतिवादी
उपस्थित। तत्पश्चात् रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो
शापिल मिराल है। वकील वादीगवा की पहल
कुली गई। प्रमाण सहित निवेदन किया
कि जमान की पर लई रूटेशन तहसील

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तस्मिन् पत्रपत्र को मूल खर्चा मिला
 19 रुका 43.03 बीघा की परिवार
 मिला 01 व रुका खर्चा/2 की खर्चा
 में अवधि को तत्काल खर्चा
 इत 2 खर्चा को के कारण
 उनके वरु नखर खर्चा हुआ बाकी
 मिला 01,2का खर्चा मिला 776/
 19 रुका 1.9425 की खर्चा व परिवार
 मिला 01 का खर्चा नखर 905/19
 रुका 1.08 बीघा है। उनके खर्चा में
 खर्चा नखर खर्चा हुआ खर्चा तत्काल
 खर्चा खर्चा द्वारा खर्चा खर्चा
 खर्चा के कारण खर्चा मिला 776/19
 खर्चा 1.9425 खर्चा (12 बीघा) के
 खर्चा 42 09 बीघा की खर्चा
 खर्चा के खर्चा की खर्चा खर्चा
 खर्चा 905/19 रुका 1.08 बीघा के
 खर्चा 42 5 बीघा की खर्चा
 के खर्चा खर्चा की खर्चा खर्चा
 खर्चा खर्चा के कारण खर्चा के
 खर्चा खर्चा के खर्चा के खर्चा
 खर्चा को खर्चा खर्चा खर्चा
 खर्चा खर्चा मिला नि परिवार मिला
 2.3 व 5, 6 की खर्चा खर्चा
 खर्चा मिला खर्चा खर्चा है। खर्चा
 खर्चा परिवार मिला 07 की खर्चा




सहायक कलक्टर
 जिला (S.D.O.)

सहायक कलक्टर
 जिला

से जी वारीगण का वाड स्वीकार होप है
अतः वारीगण का वाड स्वीकार किया जायत
पादवाल शमी की अर्थव्यवस्था को निरस्त
कर वारीगण के राष्ट्रीय रिपोर्ट (अनावंदी)
अनुक्रम नम्बर 1255 में दुकाली की जाये।
तथा परिचाली के विरुद्ध राष्ट्रीय अनुक्रम
रिपोर्ट निषेधाज्ञा जारी की जाये।

इसके अलावा आधीयता की शक्ति कृती
कोर बरत पर फर क्रीडा तथा पत्रावली
पर अपलक्ष्य राष्ट्रीय रिपोर्ट, इत्यादि
तथा तत्सम्बन्धित प्रतिवेदन का गम्भीरता - पूर्वक
अवलोकन किया। जिसमें पाया की पादवाल
शमी ग्नाद गीनरलाई स्टेशन तकरीफ पत्रपत्रा
की मूल खतरा संख्या 19 से निम्न 1012
से खतरा नम्बर 905/19 व 776/19
की अनावंदी में इ-डाफ वरुके अनुक्रम
अन्वय नम्बर में तस्मीन दुकाली कलाने
का अनुक्रम पाठ गदा है। अन्वय रिपोर्ट
के अनुसार मूल खतरा संख्या 19 से अने
गते अल नम्बर दुकाली का नम्बर 7-9317
हेतुपर है। अन्वय नम्बर 1255 नम्बर अनुक्रम
नम्बर 10-1255 हेतुपर वतता है। अन्वय
रिपोर्ट (अनावंदी) व नम्बर नम्बर में अन्वय
का नम्बर NH-25 गे. डु. (अन्वय का मोंका
रिपोर्ट व नम्बर नम्बर में ^{अन्वय} अन्वय के कारण
अन्वय खतरा की तस्मीन परिवर्तित होगा
वतता है। इक अन्वय रिपोर्ट के अन्वय




सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अन्वय नम्बर
अन्वय (S.D.O.)

इ कि रूप खलान कांजा 19 ले विभव
 डोग के काल खलान की तरदीन
 होका उंय रिपोर्ट कुमुप नही हो रही
 है। इका कारण तदत्र खलान की रिपोर्ट
 कुमुप तरदीन नही हो रही है। पूंकि
 केतलगत वादीगवा व उतिवादी कांजा 01
 के खलान की तरदीन कुकुली कि छ जाने
 से खलान का समाधान नही होगा।
 पूंकि वतमान में सर्व-रिस्के की उतिवादी
 कारवाही चल रही है इका कारण सामान्य
 डाया यह अधीन समझता है कि मूल
 खलान के विभव काम बने खलान
 की तस्कीलडात सर्व-रिस्के कारवाही के
 दौरान पांच कर निमामातुकार उकला का
 निस्तारा कते। लिहाया वादीगवा का
 वाड आंमिक रूप ले स्वीकार बीना पाकर
 तस्कीलडात पचपदा / कलापक पू आंमिक
 उंय पदेन सहायक पू उंयप्य कारवाही को
 उतिवादी विभा जाता है कि विवादिन
 कारवाही का रि-लेक्कोट सर्व के कोलेन
 उंय-पत्रकारान की उतिवादि में मिला
 कल्या - काशन उंय रेकड रिक्ति का
 गवाप्यर शकते इका सुकला कर उकला
 का निमामातुकार निस्तारा कते। डिजी-वर्ग
 जारी हो।

प्रापसी कला कुमाल का दाखिल
 कला है।


 सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) बालोतरा

डिक्री-पत्रा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 143/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/380

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण



1. लच्छाराम पुत्र शिरामाराम
जाति जाट निवासी रोजिया नाड़ा, माधारार
तहसील बायतु
2. सुरेन्द्रकुमार पुत्र भीकमचंद जाति गेवाड़ा
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

1. गजेशिंह पुत्र शिवलालशिंह जाति राजपूत
निवासी चांदेरा तहसील पचपदरा
2. राजेन्द्र गेहता पुत्र नेगीचंद जाति ओरावाल
निवासी महामंदिर जोधपुर जिला जोधपुर
3. श्यामलाल जांगिड़ पुत्र छोगाराग जांगिड़
जाति सुथार निवासी कमला नेहरू नगर
जोधपुर
4. सचिव, नौ चहन राड़क परिवहन उच्च मार्ग
भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई
दिल्ली
5. पदमाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट
निवासी रोजियानाड़ी माधारार
6. तुलछाराम पुत्र मेहराराम जाति जाट
निवासी बायतु चिमनजी तहसील बायतु
7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबत:- तरमीम दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर:- 143/2023

निर्णय दिनांक :- 20.1.2026

वादीगण की ओर से श्री ओमप्रकाश डाबी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 20.1.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- वादीगण का वाद-तरमीम दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पचपदरा/सहायक भू अभिलेख एवं पदेन सहायक भू प्रबंध अधिकारी को आदेशित किया जाता

कि विकसित आराजी का रि-सेन्टलमेंट सर्वे के दौरान उभय-पक्षकारान की उपस्थिति में



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

मौका कब्जा काशत एवं रेकर्ड स्थिति को मध्यनजर रखते हुए सुनवाई कर प्रक्रिया नियमानुसार निस्तारण करें।

यह आज तारीख 20.1.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



[Signature]
20/01/2026
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	—	2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रुपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5.आदेशिका की तामील	—
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामील			
जोड़	—	जोड़	—

[Signature]
20/01/2026
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

